मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रमांक/ 10725/MIS/NR-10/MGNREGA-MP/10 भोपाल, दिनांक 24/11/2011

प्रति,

1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक,
   महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.,
   जिला पंचायत समस्त (मध्यप्रदेश)

विषय :– **"परख "** वीडियो कांफ्रेसिंग में मनरेगा अंतर्गत मजदूरी भुगतान के संबंध में।

संदर्भ :– अवर सचिव एफ 11–39/2011/1/9 भोपाल दिनांक 21.10.2011

———00———

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि विगत दिवस मुख्य सचिव, म.प्र. शासन के द्वारा **"परख"** वीडियो कांफ्रेसिंग के अंतर्गत विभिन्न विभागो की समीक्षा की गई, समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में अधिकांश जिलों के द्वारा मजदूरी भुगतान निर्धारित समय–सीमा मे नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति पर मुख्य सचिव ने गंभीर आपत्ति एवं कड़ी अप्रसन्नता व्यक्त की है।

उल्लेखनीय है कि मनरेगा अधिनियम के प्रावधान में स्पष्ट उल्लेख है कि अधिनियम के क्रियान्वयन में मजदूरी भुगतान अधिनियम के क्रियान्वयन में मजदूरी भुगतान अधिकतम 15 दिवस की समय–सीमा में कर दिया जावें। जिलों द्वारा मजदूरी भुगतान समय–सीमा में नहीं करने के कारण वैद्यानिक कठिनाईयाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि एम.आई.एस. की ऐन्ट्री समय–सीमा में नहीं होने के फलस्वरूप मजदूरी भुगतान विलम्ब से हो रहा है। अतः मुख्य सचिव म.प्र. शासन के निर्देशानुसार यह सुनिश्चित करें कि एम.आई.एस. की प्रविष्टि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अनिवार्यतः करवा ली जावे।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित करें कि दिये गये निर्देशों का पालन प्रतिवेदन एवं प्रमाण–पत्र एक सप्ताह में इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।

(शिव शेखर शुक्ला)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

पृ. क्रमांक/10726/MIS/NR-10/MGNREGA-MP/10 भोपाल, दिनांक 24/11/2011

प्रतिलिपि

1. समस्त संभागीय आयुक्त की ओर सूचनार्थ।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(शिव शेखर शुक्ला)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल